

न्यास से उत्तराखंड के नए क्षेत्रों में खनिजों की हो सकेगी खोज

कैबिनेट में राज्य खनिज अन्वेषण न्यास-2025 को मिली मंजूरी

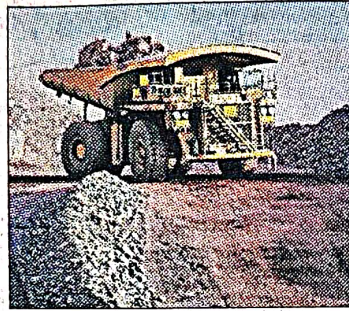
अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। कैबिनेट में राज्य खनिज अन्वेषण न्यास-2025 गठित करने को मंजूरी मिल गई है। इस न्यास के बनने से राज्य में खनिजों की खोज के काम में तेजी आ सकेगी। इस काम के लिए न्यास के माध्यम से राशि मिल सकेगी।

राज्य में खड़िया, आरबीएम का खनन होता है। सिलिका खनन को लेकर भी कदम बढ़े हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग क्रिटिकल धातुओं की खोज करने और राजस्व प्राप्त करने की योजना पर भी काम कर रहा है। अभी नए इलाके में खोज, अध्ययन के लिए प्रस्ताव के लिए राशि की व्यवस्था के लिए शासन से बजट जुटाना होता है पर अब उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास बनने से यह काम सरलता से होगा।

इस न्यास को राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास की तर्ज पर तैयार किया गया है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निदेशक राजपाल लेखा कहते हैं कि वर्तमान में खनन से जो रॉयल्टी विभाग को प्राप्त होती है, उसमें से 5% न्यास को जाएगी। इस राशि के माध्यम से नए इलाके में खनिज की खोज समेत अन्य कार्य हो सकेंगे।

■ स्वास्थ्य, पर्यावरण पर अधिक राशि होगी खर्च



कैबिनेट में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली-2025 को भी मंजूरी मिली है। इसमें 2017 में नियमावली बनी थी, उसमें संशोधन किया गया है। अधिकारियों के अनुसार अभी तक प्राथमिकता व अन्य प्राथमिकता वाली दो श्रेणियां थीं, इन श्रेणियों में 60:40 अनुपात के आधार पर खनिज न्यास निधि के माध्यम से राशि मिलती थी। अब यह अनुपात 70:30 का किया गया है। इससे प्राथमिकता वाले कार्य मसलन स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण के लिए अधिक राशि मिल सकेगी।

दो स्तर पर होगी व्यवस्था : न्यास को लेकर दो स्तर पर व्यवस्था होगी। एक प्रबंध समिति होगी। इसका अध्यक्ष सचिव खनन व सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक होंगे। यह समिति नए इलाकों में खनिज की खोज आदि का प्रस्ताव तैयार करेगी। फिर यह प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बने शासी परिषद में जाएगा। इन प्रस्तावों पर यह परिषद फैसला लेगी।

दिव्यांगों को पुत्र, पौत्र के बालिग होने पर भी मिलेगी पेंशन

देहरादून। समाज कल्याण विभाग के तहत पात्र दिव्यांग पेंशनरों को प्रदेश मंत्रिमंडल ने बड़ी राहत दी है। अभी तक दिव्यांग पेंशनर अपने पुत्र या पौत्र के बालिग (20 वर्ष) के हो जाने पर पेंशन के लाभ से वंचित हो जाते थे। दिव्यांग संगठनों की ओर से भी विभाग को पेंशन बंद न

8586

दिव्यांगों को राहत

करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। विभाग ने बुधवार को कैबिनेट के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि दिव्यांग पेंशनरों को उनके पुत्र या पौत्र के बालिग होने पर भी पेंशन मिलना जारी रहेगा। कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश के 8586 दिव्यांग पेंशनरों को लाभ मिलेगा। राज्य में सबसे अधिक दिव्यांग हरिद्वार जिले में 13028 है। देहरादून में 11367 और ऊधम सिंह नगर में 12177 है। इसके अलावा अल्मोड़ा 7133, बागेश्वर 3095, चमोली 3523, चंपावत 2662, नैनीताल 6330, पौड़ी गढ़वाल 7116, पिथौरागढ़ 3670, रुद्रप्रयाग 2412, टिहरी गढ़वाल 8391 व उत्तरकाशी में 4567 पेंशनर हैं। ब्यूरो